

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

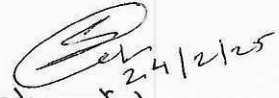
(केन्द्रीय नजारत अनुभाग)

(सूचना)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद न्यायालय, गोरखपुर के प्रयोगार्थ विधि पुस्तकों की बाईंडिंग स्थानीय बाजार से आगणन आमंत्रित कर के की जानी है। विधि पुस्तकों का बाईंडिंग हेतु कुल मु०-17,000/-रु. की धनराशि उपलब्ध है।

अतः इच्छुक व्यक्ति/फर्म विधि पुस्तकों की बाईंडिंग के संबंध में अपना आगणन दिनांक 04.03.2025 तक बंद लिफाफे में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोरखपुर में अपराह्न 02:00 बजे तक प्राप्त करा दें। नियत तिथि के उपरांत कोई आगणन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विवरण केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक-


(सुबोध वाष्णैय)

अध्यक्ष क्रय समिति/

अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं.- 02,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

1. नाजिर आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. सूचना पट्ट दीवानी न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
7. सिस्टम अधिकारी दीवानी न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।